

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/02980/2021

जयपुर, दिनांक 24-08-2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ/स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1.	3090	श्री मुकेश पुत्र श्री बाबूलाल	सेंटर फॉर ऐप्लीकेशन डेवलपमेंट, सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर	MCA 2 nd year & 3 rd Year	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर
2.	2197	श्री मुरारी लाल	निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी थानागाजी, अलवर	MCA Final Year	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर
3	2473	श्री मुकेश कुमार	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर देहात, जयपुर	M.A. (History Final Year)	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर
4	1606	श्री महेन्द्र राजपुरोहित	कार्यालय कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं प्रभारी, शिवराम नत्थुजी टाक राजकीय अस्पताल, मण्डोर संलग्न चिकित्सालय समूह, डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	M.A. Sanskrit Lit. Final Year	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
5	1351	श्री लोकेश कुमार शर्मा	मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर	BCA 2 nd Year	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर
6	3842	श्रीमती माया सुथार	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर	M.Sc.-CS (Final Year)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
7	New IA- 2018	श्री कृष्ण कुमार पारगी	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक-ऋषभदेव, उदयपुर	MCA 2 nd Year	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर

अभि -

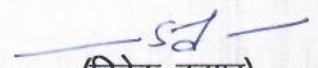
राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

8	4218	श्रीमती ज्योति मुण्डोतिया	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर	MCA 3 rd Year	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर
---	------	---------------------------	--	--------------------------	----------------------------------

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायको को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

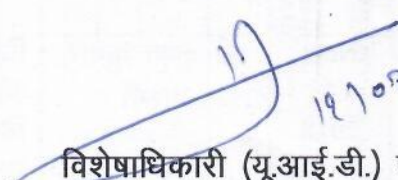
1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।
6. क.सं. 2 पर अंकित श्री मुरारी लाल, सूचना सहायक को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के अध्वधीन जारी की जा रही है।

कार्मिक/कार्मिका को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करें।


(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)